जनसंख्या विस्फोट का पारिवारिक हिंसा पर प्रभाव

सुमन कुमार
शोध छात्र
एस.डी. (पी.जी.) कॉलिज, गाजियाबाद
(चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ0प्र0) भारत)
Email: suman1041984@gmail.com

सारांश

आज भारत सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है, परंतु विश्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या 1891 में 23.6 थी, जो 2011 में बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई है, जिसमें 62. 37 करोड़ पुरूष तथा 58.65 करोड़ महिलाएं है।[1] स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत (पुरूष साक्षरता 27.16 और महिला साक्षरता 8.86 प्रतिशत) थी। 2001 में कुल साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गयी है। पुरूषों में साक्षरता दर 2001 में 75.26 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 82.14 प्रतिशत हो गयी है, वहीं महिलाओं में 2001 में साक्षरता प्रतिशत 53.67 थी जो 2011 में बढ़कर 64.46 प्रतिशत हो गयी है अर्थात् जहाँ विगत 10 वर्षों में पुरूषों की साक्षरता दर में वृद्धि 6 प्रतिशत हुई वहीं महिलाओं में साक्षरता दर में वृद्धि 12 प्रतिशत हुई। जहाँ तक महिला और पुरूष अनुपात का प्रश्न है, यह 1991 में 927 प्रति हजार पुरूष था। 2001 में यह अनुपात 933 तथा 2011 में 943 हो गया है। केरल व पुडुचेरी में स्थिति भिन्न है, वहाँ स्त्रियों की संख्या पुरूषों की अपेक्षा अधिक है। प्रति हजार पुरूषों पर 1084 व 1037 महिलाएं है।

प्रस्तावना

आज भारत सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है, परंतु विष्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या 1891 में 23.6 थी, जो 2011 में बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई है, जिसमें 62. 37 करोड़ पुरूष तथा 58.65 करोड़ महिलाएं है।[1] स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत (पुरूष साक्षरता 27.16 और महिला साक्षरता 8.86 प्रतिशत) थी।[2] 2001 में कुल साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गयी है। पुरूषों में साक्षरता दर 2001 में 75.26 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 82.14 प्रतिशत हो गयी है, वहीं महिलाओं में 2001 में साक्षरता प्रतिशत 53.67 थी जो 2011 में बढ़कर 64.46 प्रतिशत हो गयी है अर्थात् जहाँ विगत 10 वर्षों में पुरूषों की साक्षरता दर में वृद्धि 6 प्रतिशत हुई वहीं महिलाओं

में साक्षरता दर में वृद्धि 12 प्रतिशत हुई।[3] जहाँ तक महिला और पुरूष अनुपात का प्रश्न है, यह 1991 में 927 प्रति हजार पुरूष था। 2001 में यह अनुपात 933 तथा 2011 में 943 हो गया है। केरल व पुडुचेरी में स्थिति भिन्न है, वहाँ स्त्रियों की संख्या पुरूषों की अपेक्षा अधिक है। प्रति हजार पुरूषों पर 1084 व 1037 महिलाएं है।[4] भारतीय संदर्भ में 950 या उससे अधिक की महिला–पुरूष अनुपात महिलाओं के अनुकूल माना जा सकता है। केरल व पुडुचेरी के अलावा इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश इस प्रकार है – आन्ध्र प्रदेश (993), गोआ (973), छत्तीसगढ़ (991), मेघालय (989), हिमाचल प्रदेश (972), उत्तराखण्ड (963), कर्नाटक (973), मणिपुर (992), ओडिशा (979), तमिलनाडु (996), दादर और नागर हवेली (774), दमन और द्वीव (973), अण्डमान और निकोबार द्वीप (876), दिल्ली (868), चण्डीगढ़ (818)।[5] लड़कियाँ ही रह गई है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या असंतुलन का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा रहा है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक, औद्योगिक, वन्यजीवन एवं वनस्पति पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट से कई प्रकार की समस्याएं जैसे प्रदूषण, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, हत्या, आत्महत्या, आपराधिक गतिविधियाँ, समाजविरेाधी व्यवहार, हिंसा, आक्रमकता आदि बढ़ रही है।[6] जनसंख्या विस्फोट के कारण पारिवारिक हिंसा में भी तीव्रता से वृद्धि हुई है, जिसमें दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, आन्तर्परिवारिक यौन हिंसा (बलात्कार), शारीरिक प्रताड़ना, भावनात्मक और लैगिक दुर्व्यवहार, वैवाहिक शोषण, आर्थिक शोषण, शिक्षा में भेदभाव, बाल विवाह तथा विधवाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा आदि हिसात्मक व्यवहार का 'ग्लोबल ग्राफ' निरन्तर बढ़ रहा है।[7]

एन.सी.आर.डी. के आंकड़ों के अनुसार पिछले छः दशक 1953 से 2011 तक हत्याओं के मामले में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं बलात्कार में 97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश की 1 लाख की जनसंख्या पर बलात्कार की दर 1990 में 1.2 थी जो बढ़कर 2011 में 2.0 हो गई है।[8] 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 15 सेकण्ड में एक महिला मारपीट या किसी प्रकार के अत्याचार का शिकार होती है। हर वर्ष करीब 7 लाख महिलाएं दुष्कर्म की पीड़ा झेलती है। रिपोर्ट का दुःखद पहलू यह है कि 40 प्रतिशत भारतीय महिलाएं पति की प्रताड़ना का शिकार बनती है। यह आंकडा तो तब है, जब पारिवारिक हिंसा व यौन शोषण के 50 प्रकरणों में से एक ही पुलिस तक पहुंचता है।[9] 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' के अनुसार देश में हर वर्ष 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है। भ्रूण परीक्षण संबंधी पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 में लागू किया गया था लेकिन अब तक वह कागजों तक ही सीमित है। महाराष्ट्र में एक स्वयंसेवी संस्था के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि भ्रूण परीक्षण के बाद जो 8 हजार गर्भपात कराये गये थे उनमें 7999 बालिकाएं थीं।[10] 'मास मूवमेंट फॉर सोशल चेंज' की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के पिछड़े इलाकों में अभी भी क्षत्रिय लोग अपनी नवजात कन्याओं को पैदा होते ही गला घोंट देते है। मद्रास में कल्लर जनजाति लोग भी अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार देते है ताकि लड़कियों की शादी के कारण होने वाली समस्याएं ही पैदा न हो।[11] पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ व दिल्ली जैसे आधुनिक महानगरों

में भी स्त्री–पुरूष अनुपात का फासला बढ़ रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में प्रत्येक दिन 16 स्त्रियों की दहेज के कारण हत्या होती है। लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण और शहरी परिवार ऐसे है जिनमें किसी न किसी रूप में हिंसा की घटनाएं घटित होती है। महिलाओं के प्रति होने वालें हिंसा में मध्यप्रदेश (17.6 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (15.7 प्रतिशत), महाराष्ट्र (13.9 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (7.9 प्रतिषत) और राजस्थान (7. 5 प्रतिशत) सबसे आगे रहने वाले राज्य है।[12]

आज हम भले ही तकनीकी विकास के दौर में पहुंचने का दावा क्यों न करे फिर भी इस कटु सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपने देश में कई महिला दशक मना लेने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सम्मेलनों के आयोजनों के बाद भी महिला शोषण व अत्याचारों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर सर्वे 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिलाऐ दुनिया में सबसे ज्यादा भेदभाव झेल रहीं है। 142 देशों में हुए सर्वे में भारत 114 वें स्थान पर है।[13] सरकारी रिपोर्ट के अनुसार घरों में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में कम से कम दो–तीन बार अपने पति के हाथों जरूर पिटती है।[14] इस समय भारत में 39 कानून महिलाओं के हितों और उनकी गरिमा के संरक्षण से सम्बन्धित है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा व संरक्षण देने में असमर्थ रहीं हैं।

जनसंख्या विस्फोट का पारिवारिक हिंसा पर प्रभाव

आज भारत की जनसंख्या में जिस प्रकार की वृद्धि हो रही है, और देष की जनंसख्या 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है, वहीं महिलाओं के प्रति होने वाले पारिवारिक हिंसा में आशातीत वृद्धि हुई है।[15] जिससे उनके उन्नति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है और उनका विकास नहीं हो पाता है। पत्नी का अपने पति के व्यवहार के कारण पुरूष वर्ग से विश्वास उठ जाता है वह अन्य सदस्यों पर भी विश्वास नहीं कर पाती है। पीड़ित महिला को लोग सम्मान नही देते है। बल्कि उसका हर स्थान पर सबके सामने अपमान किया जाता है। जिससे वह अपना आत्मविश्वास खो देती है। वह अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती और वह अन्दर ही अन्दर घुटती रहती है, जिससे वह तनाव में रहने लगती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो महिलाएं प्रत्यक्ष हिंसा जैसे–मारपीट का शिकार होती है तो वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाती है। पारिवारिक हिंसा से ग्रस्त कुछ महिलाएं अपने तनाव को कम करने के लिये गलत कार्यों में लिप्त हो जाती है। जैसे–नशा करना, मद्यपान करना आदि। पुरूष महिला के अकेलेपन का लाभ उठाकर उसका शोषण करने लगते है। कुछ महिलाएं पति द्वारा यौनिक हिंसा के कारण गम्भीर रोगों से पीड़ित हो जाती है। तनावपूर्ण पारिवारिक वातावरण में महिला सरलता से हृदय रोग का शिकार हो जाती है। पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं का मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है, जो दिखाई नहीं देता है। यही मानसिक असन्तुलन शारीरिक रोग के रूप में उभरने लगता है जैसे – सिर दर्द, पेट दर्द, थकान, भय आदि से ग्रस्त रहने लगती है। कुछ महिलाएं

अस्थमा का शिकार हो जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिये महिला को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है जिसका आक्रोश वह अपनी बेटी, बहू के साथ बुरा व्यवहार करके निकालती है। दहेज की मांग को पूरा न करने पर वह प्रतिदिन की यातनाओं से बचने के लिए आत्महत्या तक कर लेती है। दहेज एवं विधवा प्रथा जैसी तमाम कुरीतियों ने स्त्री को अपने भविष्य के बारे में चिन्तित होने के लिये बाध्य कर दिया है। समाज में कुछ कुरीतियों के चलते आज स्त्री अपने पैरों पर खड़े रहना चाहती है जिससे जीवन में वह पुरूष वर्ग पर ही निर्भर न रहें, नौकरी या अन्य पेशों में लगी महिलाओं के सामने बहुत जटिल परिस्थितियाँ रहती है। ऐसी महिलाएं जहां एक ओर अपने मालिकों के कार्य का बोझ उठाती है वही दूसरी ओर परिवार का पालन–पोशण और पति की सेवा की जिम्मेदारी भी निभाती हैं ऐसे में दोनों जिम्मेदारी निभारे में वह अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाती है। महिलाओं की इतनी व्यस्तता भरी दिनचर्या का असर देर सबेर उनकी जिन्दगी पर पड़ता है।[16] परन्तु हमारा ध्यान इस ओर तब पहुंचता है जब इस प्रक्रिया से उनका शरीर प्रभावित होने लगता है यह काफी हद तक प्रभावित हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में महिला बच्चों का पालन–पोषण सही से नहीं कर पाती है।

अशिक्षा एवं गरीबी ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। 'राम आहूजा' ने अपने अध्ययन में पाया कि कम आय वाले परिवारों में पारिवारिक हिंसा की घटनाऐं अधिक होती हैं तथा शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा जाता है। आज मदिरा, ड्रग्स और अन्य नशे का सेवन भी लोगों द्वारा व्यापकता से किया जा रहा है। अध्ययन में पाया गया कि शराबी पतियों द्वारा पत्नी को पीटने की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो नशे की तुलना में होश हवास में अधिक पीटते हैं। आयु का संबंध भी अत्याचारों से है। अध्ययन में पाया कि उन पत्नियों को जो अपने पति से पांच वर्ष से अधिक छोटी होती हैं अपने पति से पीटे जाने की संभावना अधिक होती है। 25 वर्ष की कम उम्र की स्त्रियों के साथ मारपीट की घटना अधिक होती है। व्यक्तियों के स्वयं के साथ होने वाली हिंसा का प्रभाव भी महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के लिए उत्तरदायी है। अध्ययनों में पाया कि वे लोग जो बचपन में हिंसा का शिकार हुए थे बड़े होने पर पत्नी को पीटने की ओर अधिक रूझान रखते हैं।[17]

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी व्यक्ति में घरेलू हिंसक व्यवहार पर होता है। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। देश की जनसंख्या में आज लगभग 75 प्रतिशत व्यक्ति इसका उपयोग कर रहे हैं। आज गरीब लोगों के पास भी टेलीविजन है और इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर होता है।[18]'फिलिप्स' ने अपने अध्ययन में पाया कि हिंसक घटनाओं के प्रसारण से भी व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित होता है। समाचार पत्रों में भी छपे उत्तेजक तथा हिंसक घटनाओं से भी हिंसक व्यवहार को बल मिलता है। कई अध्ययनों में पाया कि फिल्म तथा दूरदर्शन पर हिंसक व्यवहार देखने वाले आगे चलकर स्वंय इसी तरह के हिंसक व्यवहार करने लगते हैं।[19]'जागृति आर्य' ने मंदसौर जिले में म.प्र. सरकार के बेटी बचाओ अभियान के प्रभाव का अध्ययन में पाया कि सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ अभियान के बारे में 49.7 प्रतिशत

जानते हैं, 22.4 प्रतिशत नहीं जानते तथा 17.9 प्रतिशत लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, और बेटी बचाओ अभियान का लाभ 57.34 प्रतिशत परिवारों को मिल रहा है, तथा 42.66 प्रतिशत लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, आज हमें बेटियों को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्यों आज बालिकाओं की संख्या कम हो रही है ? इन सभी अपराधों को रोकने के लिए लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करना एवं योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब बालिकाएं विलुप्त हो जायेंगी।[20]

कुपोषण की समस्या भी आज जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव घरेलू हिंसक व्यवहार पर पड़ रहा है, गीताली सेन गुप्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि खालवा विकासखण्ड में 46 प्रतिशत तथा खकनार में 50 प्रतिशत बालिकाएं कुपोषण का शिकार हैं। कभी–कभी कुपोषण, गरीबी के कारण भी महिलाऐं और बालिकाओं के प्रति अत्याचार में वृद्धि होती है।[21]'गीतारानी तरूकदार एवं रूपाली सेन' ने अपने अध्ययन में पाया कि किशोरियों की तुलना में किशोर अधिक आक्रमक होते हैं, तथा किशोरों की तुलना में किशोरियां समाज के नियमों का पालन अधिक करती हैं।[22] जनसंख्या वृद्धि के यदि विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया जाए तो पाया गया कि जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर मानवीय समस्या है, जिसका निदान अतिआवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, और कई प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति और समाज कर रहे हैं, साथ ही वन्यजीवन पर भी इसके हानिकारक प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए पारिवारिक हिंसा में भी तीव्रता से वृद्धि हुई है।

महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रयास, योजनाऐं एवं प्रावधान

भारतीय समाज एक पुरूष प्रधान समाज है यहां महिलाओं को हमेशा से ही दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। आज इतनी शिक्षित होने के बाद भी वह पुरूषों पर आश्रित हैं। आज महिलाओं को ही ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे स्वयं को सुरक्षित और सशक्त बना सके फिर भी आज उन्हें समाज में कई प्रकार की चुनौतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज परिवार में होने वाले अत्याचार तथा अपराध को रोकने, उन्हें विकास के पथ पर ले जाने, सक्षम एवं सबल बनाने हेतु कई प्रकार के प्रावधान संविधान में लागू हैं तथा शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाऐं, नीतियां एवं प्रयास किये जा रहें हैं, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाऐं भी इस ओर प्रयासरत् हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए कई प्रकार के संवैधानिक अधिकार का प्रावधान है, सार्वजनिक नौकरियों में पुरूषों के समान अधिकार है। संविधान महिलाओं और पुरूषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने की मंशा रखता है। पुरूषों के समान वेतन का अधिकार है, कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित कुछ खास अधिकार है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए उचित न्याय की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, आय का बंधन समाप्त और उत्पीड़न के मामलों में महिला जजों द्वारा सुनवाई का प्रावधान करना। देश के सभी महिला थानों में पारिवारिक सलाह केन्द्रों की स्थापना की गई है। पुलिस मुख्यालय में राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ स्थापित तथा जिलों में स्वैच्छिक संस्थाओं की

सहभागिता से परिवार सलाह केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। सरकारी जमीन के पट्टे अब पति–पत्नी के संयुक्त नाम से करने का प्रावधान है। किसी क्षेत्र में 50 प्रतिशत महिलाओं की मांग पर वहां से शराब दुकान बंद करवाने/हटाने का प्रावधान लागू किया गया है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा मामला चल रहा हो तो फैसले में निर्दोष साबित होने पर भी सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। बालिका भ्रूण का गर्भपात रोकने के लिए लिंग विभेद व लिंग पूर्व चयन (विनिमय) अधिनियम प्रावधानों का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया गया। मां और बच्चे की देखभाल के लिए देश में 488 आई.सी.डी.एस. परियोजना स्वीकृत हैं। राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रसव के 8 से 12 हफ्ते पहले 1500 रूपये एक मुश्त देने की योजना लागू की गई है।[23] विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखनों, पेटिंग्स, चित्रों से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए 1987 में महिलाओं का अश्लील प्रतिनधित्व (निशेध) अधिनियम पारित किया गया था। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से सुरक्षित करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम (1976), हिनदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), प्रसूती प्रसुविधा अधिनियम (1961), दहेज निशेध अधिनियम (1961), प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994), घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम (2005), कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु कई प्रावधान हैं।[24] आज पुलिस प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाऐं भी महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के लिए सजग हैं, और विभिन्न प्रयास कर रही हैं। उनके प्रति होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा, और एक हिंसा मुक्त समाज की स्थापना कर देश की स्वच्छ छवि विश्व के मानचित्र पर बनानी होगी।

महिला आत्मसुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

अंग्रेजी में एक कहावत है Prevention is better than cure अर्थात् मर्ज होने पर दवा करने से बेहतर है कि पहले ही सचेत रहना या मर्ज होने से रोकना। किसी दुर्घटना के घटित होने पर उपचार के प्रयास से बेहतर होगा कि हम दुर्घटना के कारणों को पहचान कर पहले ही सजग रहे, ताकि दुर्घटना न हो। आधुनिकता की अंधी होड़ में अपराधों, अराजकता एवं अन्य सामाजिक विकृतियों ने समाज में गहरी सेंध लगा ली है। टेक्नोंलाजी एडवान्समेंट के साथ–साथ साइबर क्राइम भी बढते जा रहे हैं। फ्रेडशिप के नाम पर सोश्यल नेटवर्किंग साइटस के जरिए अनजान लोगों से मेलजोल भी हिंसा को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। समाज में गन्दगी चारों ओर है, जरूरत है कि हम उससे बचकर कैसे निकलें। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता होती है कि आत्मसुरक्षा के उपयों की जो हमें विकृतियों के घने जाल से सुरक्षित निकाल सकें। आज के विकृत समाज में हर नारी या बालिका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शोषण का शिकार हो रही है। घर या बाहर कहीं स्त्री जाती सुरक्षित नहीं है। आत्मसुरक्षा हथियारों में कुछ महत्वपूर्ण है – वेशभूषा, छठी इन्द्रीय ज्ञान, कराटे।

जहाँ तक बात वेशभूषा की है तो आधुनिकता की अंधी दौड़ में मूल्यों के साथ–साथ कपड़े भी छोटे होते जा रहे हैं। आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व का आईना है, आपकी ड्रेस

सेन्स ऐसी हो जो किसी को Provoke ना करें। यदि आप आकर्षक दिखने के चक्कर में किसी ऐसी ड्रेस का चुनाव करते है जो आपके आकर्षक को ना बढ़ाकर एक्सपोज करे तो अनिवार्यतः आप संकट में आ सकती हैं छोटे कपड़े आकर्षण को नहीं वरन मुसीबत को बढ़ाएंगे। आपके व्यक्तित्व की पहचान कपड़ों से नहीं आपके विचारों से होती है। असहज परिस्थितियों से बचने में आपकी Sixth Sense आपको मददगार साबित हो सकती है। आप घर में हो या बाहर कहीं भी अपने Sixth Sense का उपयोग कर मुसीबत को आने से पहले ही भांप लें। आपको सही और गलत व्यक्ति की पहचान हो एवं असुरक्षा से बचें। कोई व्यक्ति अचानक ही आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करे आवश्यकता ना होने पर भी सहयोग की पहल करे तो पहले कारण जानने की कोशिश करें। अब यदि आप संकट में फंस चुके हों तो आपके पास बचने का एकमात्र चारा रहता हैं कराटे। आज के युग में आत्मसुरक्षा हेतु कुछ आत्मरक्षक कराटे टिप्स की जानकारी हर महिला को होनी चाहिए जिससे वे स्वंय को सुरक्षित रख सकें। इसकी ट्रेनिंग स्कूल टाइम से ही शुरू होनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह देखने में आया है कि आध्यात्म की आड़ में हिंसा पनप रहे हैं। ऐसे में किसी को दोष देने से बेहतर होगा कि आप अंधविश्वास से बचें एवं उपरोक्त वर्णित उपायों को अपनाकर आत्मरक्षा करें।

- महिलाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाये, क्योंकि महिलाएं जितना अधिक शिक्षित होगी उतना ही कानून के प्रावधान व उसकी प्रक्रिया को समझ सकती है और सही समय पर इसका उपयोग कर सकती है।
- लड़को की तरह लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए तथा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। जिससे महिलाओं को भी हर क्षेत्र में समान रूप से स्थान मिल सके। जिसके परिणामस्वरूप लैगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।
- संचार माध्यमों द्वारा प्रदर्शित विकृत नारी देह के चित्रण को अविलम्ब प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए। हिंसा सैक्स तथा अपराधी मनोवृत्ति को बढ़ावा देने वाली फिल्में तथा महिलाओं के खिलाफ षडयंत्र करते दिखायें जाने वाले टी.वी. धारावाहिकों को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।
- महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम का व्यापक प्रचार–प्रसार होना चाहिए। आज भी अधिकांश महिलाएं इस कानून से अनभिज्ञ है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया को बेल बजाओ जैसे विज्ञापनों को अत्याधिक बढ़ावा देना चाहिए।
- शासकीय योजनाओं एवं प्रयासों, महिलाओं के अधिकार दी जाने वाली सुविधाओं नीतियों आदि की जानकारी सहजता एवं सरलता से उपलब्ध करवाई जाए।
- महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण, नजरीया और मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाए।

- महिलाओं में अत्याचारों के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यशाला एवं सम्मेलनों को आयोजित किया जाए।
- महिलाओं में पूर्ण विश्वास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे अपने पूर्ण–क्षमताओं की पहचान कर सकें।
- राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में महिलाऐं पुरूषों के समान ही मूलभूत स्वतंत्रताओं व मानवाधिकारों को जो वैधानिक शक्तियों से उन्हें मिले है वे वास्तव में उपयोग कर सकें।

निष्कर्ष

यदि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा महिलाओं के प्रति होने वाले हिसात्मक व्यवहार को समय रहते नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके परिणाम अत्यन्त घातक होगे और देश में हर नागरिक को इसके दुष्परिणाम का सामना करना होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. तिवारी, ए 2014 : *जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण सुरक्षा*, कृष्ण कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिटर्स, सागर (म.प्र.) पृ. **117**
2. आर्य, जे. 2014 : *'म.प्र. सरकार के बेटी बचाओं अभियान के प्रभाव का अध्ययन'* Naveen Shodh Sansar, An International Multidisciplinary Refereed Journal Vol-III, Issue (April to June) P.**124**
3. संजय, ए 2013 : *''महिला सशक्तिकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका''* रचना (द्विमासिक पत्रिका) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, अंक 104 सितम्बर–अक्टूबर, पृ. **16**
4. अग्रवाल, जी.के. 2012: *भारतीय समाजः मुद्दे एवं समस्याएं,* एस.बी.पी.डी. पब्लिषिंग हाऊस, आगरा (उ.प्र.) पृ. **99**
5. आहूजा, राम 2011 : *सामाजिक समस्याऐ,* रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर (राजस्थान) पृ. **244**
6. बघेल, डी.एस. 2010 : *अपराध शास्त्र,* विवेक प्रकाशन, जवाहरनगर, (दिल्ली), पृ. **162, 210**
7. गौतम, ज्योति 2005 : *लिंग एवं समाज,* रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, (राजस्थान) पृ. **44, 143, 150, 153**